न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्रकरण क्रमांक - निगरानी 1187-II-15

1. राजेश्वरी भट्ट पत्नी राजेश भट्ट
2. दीपक भट्ट पुत्र श्री प्रेमदत्त भट्ट

निवासीगण ग्राम सिमरिया तहसील सेमरिया जिला रीवा (म.प्र.)

बनाम

1. राधा सोनी पत्नी मुनीन्द्र सोनी
2. सुजीत सोनी पुत्र श्री मुनीन्द्र सोनी
3. मंजू भट्ट पति श्री हरदत्त भट्ट
4. राहुल भट्ट पिता श्री हरदत्त भट्ट
5. ऋषी भट्ट पिता श्री हरदत्त भट्ट

समस्त निवासीगण ग्राम सेमरिया तह. सेमरिया जिला रीवा मध्य प्रदेश

निगरानी अंतर्गत धारा 50(क) म.प्र.भू.रा.संहिता 1969 विरूद्ध आदेश दिनांक 13.05.2015 द्वारा पारित न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग प्रकरण क्रं. 1263/अपील/2012-13 राधा सोनी विरूद्ध मंजू ~~सोनी~~ भट्ट के निर्णय से दुखी होकर ।

श्रीमान् जी निवेदन निम्न प्रकार है :-

1. यहकि, उभयपक्षों के मध्य माननीय अपर आयुक्त संभाग रीवा के समक्ष अपील जिसका नंबर 1263/2012-13 पर दर्ज होकर संचालित है जिसमें दिनांक 27.05.2015 नियत है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0–1187/दो/15 जिला–रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश राजेश्वरी भट्ट आदि वि. राधासोनी आदि	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26 –11–2015	1– प्रकरण में आवेदक अभि0 श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदक अधिवक्ता श्री अरविन्द पाण्डेय एवं श्री आर.एस. सेंगर उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में अंकित तथ्यों के आधार पर निगरानी स्वीकार करने का निवेदन किया गया। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी आधारहीन होने से निरस्त करने का अनुरोध किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं की ओर से प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा प्रकरण कमांक–27/अ–6/11–12 में पारित आदेश दिनांक 31–5–13 के विरूद्ध अपील अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रकरण कमांक–1263/अपील/12–13 दर्ज होकर प्रचलित है। उक्त प्रचलित अपील प्रकरण में आवेदिका द्वारा संहिता की धारा 44/32 तथा धारा 151 जा.दी. के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रकरण की कार्यवाही को सिविल न्यायालय में (प्रकरण में विवादित भूमियों के स्वत्व के निराकरण के संबंध में) प्रचलित प्रकरण के निराकरण होने तक अपर आयुक्त न्यायालय में उक्त प्रचलित प्रकरण में की जा रही कार्यवाही को स्थगित किए जाने का निवेदन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा आवेदिका की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 21–7–14 को यह अंकित करते हुए कि "मान. व्यवहार न्यायालय द्वारा इस न्यायालय (अपर आयुक्त न्यायालय) में की जा रही कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है"। आवेदिका का उक्त आवेदन पत्र निरस्त किया गया तथा प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया। सिविल न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 सिरमौर के प्रकरण कमांक–82 ए/15 की आदेश पत्रिका की प्रमाणित प्रति की छाया प्रति का अवलोकन किया गया जिसमें अपर आयुक्त के न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही को रोकने का कोई आदेश नहीं दिया गया है। इसके	1

राजेश्वरी / राधा लोनी

R 1187/11/15

रीवा

अतिरिक्त सिविल न्यायालय की उपरोक्त कार्यवाही में वादी प्रशांत भट्ट है तथा प्रतिवादी मु. नगर पालिका अधिकारी एवं कलेक्टर जिला रीवा को बनाया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय सहित इस न्यायालय में पक्षकार नहीं है।

अपर आयुक्त द्वारा जारी आदेश दिनांक 13.5.15 जो तर्क हेतु नियत है जिससे किसी भी पक्ष के वर्तमान में किसी भी प्रकार के हित अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई संभावना प्रतीत नहीं हो रही है वहीं अपर आयुक्त के समक्ष उभय पक्ष को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर भी उपलब्ध है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13–5–15 विधि अनुकूल है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 13–5–15 स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। आदेश प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस किया जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो ।

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश,
ग्वालियर